

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 213/2016

अनवान : -

1. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
2. चैतराम पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
3. चावली पुत्री लिछमण जाति नाई साकिन पुनसीसर तहसील सरदारशहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. जमना देवी मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. हनुमान पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. प्रताप पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. शीशपाल पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन घेरु तहसील भादरा।
9. मोहनलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन घेरु तहसील भादरा।
10. दलीप कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
11. शिव कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
12. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री नरेन्द्र जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 07/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 31/24 के ख0न0 39 की 13.19 बीघा, ख0न0 117/2 की 27.00 बीघा, ख0न0 395 की 62.13 बीघा कुल 103.12 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका होने के कारण पक्षकारान का आपस में लगान काश्त एवं सीव का झगड़ा रहता है इसलिए वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान तकसीम करवाकर अलग से खाता कायम करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को काफी समतल व उपजाऊ बना रखा है वादी अपने हक हिस्सा के अनुसार अपनी भूमि पर काबिज है। मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार वादी अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहता है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 31/24 के ख0न0 39 की 13.19 बीघा, ख0न0 117/2 की 27.00 बीघा, ख0न0 395 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

62.13 बीघा कुल 103.12 बीघा भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स० 31/24 के ख० न० 39 की 13.19 बीघा, ख० न० 117/2 की 27.00 बीघा, ख० न० 395 की 62.13 बीघा कुल 103.12 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. कमलेश पत्नि पप्पू 1.852 हे०, भूपसिंह पुत्र मेहरचन्द 1.852 हे०, सावित्री पत्नि रामजीलाल 1.852 हे० जाति जाट सां. पीलीमन्दोरी तह. फतेहाबाद, गुड्डी पत्नि अमरसिंह 2.752 हे०, मोनिका पत्नि रामप्रसाद 2.752 हे० जाति जाट सा. श्योरानी, चावली पुत्री लिछमण 1.200 हे० जाति नाई सा. पुनसीसर तह. सरदारशहर, मोहनलाल पुत्र छोटूराम 0.632 हे०, शीशपाल पुत्र छोटूराम 1.391 हे० जाति जाट सा. घेरू तह. भादरा, शिवकुमार पुत्र रामजीलाल 0.759 हे० चेताराम, देवीलाल श्योपतराम पि. जोतराम ब.हि.ब. 0.170 हे० जाति जाट सा. देह खातेदार हनुमान, प्रताप पि. अमीलाल ब.हि.ब. 4.162 हे० जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:— मोनिका, गुड्डी पीनएबी. शाखा नोहर, चेताराम हि. पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, देवीलाल हि. आईसीआईसी शाखा नोहर, भूपसिंह, सावित्री हि. आईसीआईसीआई शाखा डिंग मण्डी, श्योपतराम हि. आरएमजीबी शाखा खुईया, शीशपाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमि० शाखा हिसार, हनुमान प्रसादि.एसबीआई शाखा गोरखाना — ख. न. 39 रकबा 3.528 हे० ख. न. 395 रकबा 15.846 हे० कुल 19.374 हे०
2. चेताराम पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:— पीएनबी शाखा मन्दरपुरा — ख. न. 117/2/2 रकबा 2.3405 हे० बा०1
3. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:— आईसीआईसीआई शाखा नोहर — ख. न. 117/2/1 रकबा 2.3405 हे० बा०1
4. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:— आरएमजीबी शाखा खुईया — ख. न. 117/2/3 रकबा 2.150 हे० बा०1

Lahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 07/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 213/2016

अनवान : -

1. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।

बनाम

- वादी

1. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
2. चैतराम पुत्र जोतराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
3. चावली पुत्री लिछमण जाति नाई साकिन पुनसीसर तहसील सरदारशहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री नत्थुराम जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. जमना देवी मेहरचन्द जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
6. हनुमान पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
7. प्रताप पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी जोखासर तहसील नोहर।
8. शीशपाल पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन घेऊ तहसील भादरा।
9. मोहनलाल पुत्र छोटूराम जाति जाट साकिन घेऊ तहसील भादरा।
10. दलीप कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
11. शिव कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन जोखासर तहसील नोहर।
12. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गोरखाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 213 सन 2016 निर्णय दिनांक 07/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 31/24 के ख0न0 39 की 13.19 बीघा, ख0न0 117/2 की 27.00 बीघा, ख0न0 395 की 62.13 बीघा कुल 103.12 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. कमलेश पत्नि पप्पू 1.852 हे०, भूपसिंह पुत्र मेहरचन्द 1.852 हे०, सावित्री पत्नि रामजीलाल 1.852 हे० जाति जाट सां. पीलीमन्दोरी तह. फतेहाबाद, गुड्डी पत्नि अमरसिंह 2.752 हे०, मोनिका पत्नि रामप्रसाद 2.752 हे० जाति जाट सा. श्योरानी, चावली पुत्री लिछमण 1.200 हे० जाति नाई सा. पुनसीसर तह. सरदारशहर, मोहनलाल पुत्र छोटूराम 0.632 हे०, शीशपाल पुत्र छोटूराम 1.391 हे० जाति जाट सा. घेऊ तह. भादरा, शिवकुमार पुत्र रामजीलाल 0.759 हे० चैतराम, देवीलाल श्योपतराम पि. जोतराम ब.हि.ब. 0.170 हे० जाति जाट सा. देह खातेदार हनुमान, प्रताप पि. अमीलाल ब.हि.ब. 4.162 हे० जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:- मोनिका, गुड्डी पीनएबी. शाखा नोहर, चैतराम हि. पीएनबी शाखा मन्दरपुरा, देवीलाल हि. आईसीआईसी शाखा नोहर, भूपसिंह, सावित्री हि. आईसीआईसीआई शाखा डिंग मण्डी, श्योपतराम हि. आरएमजीबी शाखा खुईया, शीशपाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमि० शाखा हिसार, हनुमान प्रसादि.एसबीआई शाखा गोरखाना - ख. न. 39 रकबा 3.528 हे० ख. न. 395 रकबा 15.846 हे० कुल 19.374 हे०
2. चैतराम पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:- पीएनबी शाखा मन्दरपुरा - ख. न. 117/2/2 रकबा 2.3405 हे० बा०1
3. देवीलाल पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:- आईसीआईसीआई शाखा नोहर - ख. न. 117/2/1 रकबा 2.3405 हे० बा०1
4. श्योपतराम पुत्र जोतराम जाति जाट सा. देह खातेदार, रहन:- आरएमजीबी शाखा खुईया - ख. न. 117/2/3 रकबा 2.150 हे० बा०1

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक07/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर